न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 29 / 2023 (राजसमन्द डिकी)

श्रीमती कमलादेवी पुत्री उदयसिंह, जाति रावत, निवासी टोगी, तहसील भीम, हाल निवासी महरातो की बरजाल, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती शान्तादेवी पत्नी माधूसिंह, जाति रावत, निवासी टोगी, तहसील भीम
2. राजेशसिंह पिता माधूसिंह, जाति रावत, निवासी टोगी मृतक के बजाय :–
   2/1. श्रीमती इन्द्रा पत्नी स्वर्गीय राजेशसिंह, निवासी टोगी, तहसील भीम
   2/2. ललिता पुत्री स्वर्गीय राजेशसिंह पत्नी लोकेशसिंह, निवासी टोगी
   2/3. तरूणसिंह पिता स्वर्गीय राजेशसिंह निवासी टोगी, तहसील भीम
   2/4. प्रियंका उर्फ परी पुत्री स्व. राजेशसिंह नाबालिग जरिये प्राकृतिक माता, श्रीमती इन्द्रा पत्नी स्वर्गीय राजेशसिंह, निवासी टोगी
3. सोहनसिंह पिता माधूसिंह, जाति रावत, निवासी टोगी, तहसील भीम
4. छगनसिंह पिता माधूसिंह, जाति रावत, निवासी टोगी, तहसील भीम
5. नारायणसिंह मुतबन्ना रूपसिंह, जाति रावत, निवासी टोगी, तहसील भीम
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम – 1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी भीम दिनांक
25.05.2015 प्रकरण संख्या 87 / 2014

––– / –––

उपस्थित :– 1– श्री हनुमानप्रसाद शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री प्रकाश चन्द्र पालीवाल अभिभाषक रे.सं. 2/1, 3, 4

––– :: –––

निर्णय **दिनांक 31–07–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ [illegible] में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 के पति/पिता माधूसिंह [illegible] अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम टोगी, तहसील भीम में [illegible] पत्र की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:41:04 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

कलम संख्या 1 (अ) आराजी नंबर 913, 919, 955, 956, 979, 980, 999 व 1000 कुल किता 8 रकबा 4.09.00 एवं कलम संख्या 1 (ब) आराजी नंबर 922 से 995 व 1001 रकबा कुल किता 5 रकबा 16.07.10 स्थित है। उक्त आराजियात रूपसिंह, उदयसिंह, तेजसिंह पिता हीरासिंह रावत के खातेदारी एवं आधिपत्य की थी। तेजसिंह की मृत्यु के पूर्व रूपसिंह का देहान्त हुआ एवं उसे पूर्व उदयसिंह का देहान्त हुआ। यह भूमियां इन्होंने गिरवी रखी थी, जिसे वादी ने रकम अदा कर रहन छुडवाया तथा कब्जा प्राप्त किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः तेजसिंह, उदयसिंह व रूपसिंह के वारिस हैं। प्रतिवादी संख्या 2 रूपसिंह का गोद पुत्र है। वाद पत्र में वर्णित आराजियात में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा होकर तीनों सहखातेदार कृषक हैं तथा आपसी मौखिक विभाजन अनुसार अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। आराजी नंबर 992 व 1001 वादी के हिस्से में होकर काश्त कर रहा है, जो नेशनल हाईवे के नजदीक स्थित है, किन्तु राजस्व रेकार्ड में सहवन से रूपसिंह के नाम दर्ज रह गया, जबकि यह आराजी आपसी मौखिक विभाजन में वादी के हिस्से में रखी गयी थी, जिस पर वादी 50 वर्षो से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज हो जाने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि नेशनल हाईवे में अवाप्त होने से उसका मुआवजा उठाने पर आमादा हैं, जबकि उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा नहीं होकर 1/3 हिस्सा है तथा 1/3 हिस्सा रूपसिंह का होकर उसका वारिस प्रतिवादी संख्या 2 है। प्रतिवादी संख्या 1 टोगी गांव में नहीं रहकर 50 किमी दूर अपनी ससुराल में रहती है, जिससे उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के आधिपत्य एवं उपभोग की नहीं रही। अतः वादी का वाद स्वीकार कर वाद पत्र के पैरा 1 में वर्णित आराजियात में 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा आराजी नंबर 992 व 1001 वादी अकेले के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराया जावे एवं आराजी नंबर 992 व 1001 का मुआवजा नहीं लेने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को पाबन्द किया जावे। यदि प्रतिवादी संख्या 1 ने मुआवजा [illegible] लिया हो तो उसे वादी को दिलाया जावे और [illegible] तो भी वादी को दिलाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:41:04 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

2. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर दिनांक 25–05–2015 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 29–05–2018 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी, जिसे पुनः नंबर पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर बाजदायरी प्रार्थना पत्र दिनांक 19–10–2023 को स्वीकार किया जाकर पत्रावली पुनः नंबर पर ली गयी तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

3. अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्टगण को दिनांक 19–10–2015 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

4. उक्त बहस का खण्डन करते हुए अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बताया कि अपील देरी से प्रस्तुत करने का कोई युक्ति–युक्त कारण नहीं बताया है ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में आर.बी.जे. (14) 2007 पेज 438, आर.आर.टी. 2010 (2) पेज 801, आर.आर.टी. 2011 (2) पेज 851 प्रस्तुत की।

5. हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक नजीरों अनुसार देरी से प्रस्तुत अपील में विलम्ब से पर्याप्त एवं संतोषप्रद कारण बताना आवश्यक है, किन्तु प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प में निर्णय पारित किया है। उक्त राजस्व कैम्प में वक्त निर्णय अपीलान्ट उपस्थिति रही हो, इसका कोई अंकन नहीं है। तदनुसार प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों [illegible] थ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अपी[illegible] कर रखा था, किन्तु उक्त निर्णय राज[illegible] वक्ता की अनुपस्थित में किया गया है, जिसके अपीलान्ट को को[illegible]नकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:41:04 IST
Reason: SelfAttested

पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

नहीं था। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता विवादित आराजी के 1/2, 1/2 हिस्से के खातेदार थे तथा राजस्व रेकार्ड में 1/2, 1/2 हिस्सा उनके नाम दर्ज रहा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सगे भाई थे तथा वादी का एक भाई रूपसिंह 60 वर्ष पहले लाऔलाद एवं बिना शादी शुदा फोत हो गया। वादी की नियत में खोट आ जाने से अपने एक जाईन्दा पुत्र नारायणसिंह को मृतक रूपसिंह का दत्तक पुत्र बताते हुए 1/3 हिस्से का खातेदार बनाने हेतु घोषणा व विभाजन का वाद प्रस्तुत किया, जिसे प्रतिवादिया ने जवाबदावा प्रस्तुत कर अस्वीकार किया है तथा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का पुत्र नारायणसिंह प्रतिवादी संख्या 2 का दत्तक पुत्र नहीं है तथा उसकी घोषणा की कार्यवाही सिविल न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है, राजस्व न्यायालय में दत्तक की घोषणा का वाद नहीं चल सकता। प्रकरण आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र पर मुकर्रर था, जिस पर कोई निर्णय पारित नहीं कर तथा अपीलान्ट को बिना सूचना दिये प्रकरण राजस्व कैम्प खीमाखेड़ा जो टोगी से करीब 60 किमी दूर हैं, वहां रखकर निर्णय पारित कर दिया। निर्णय के समय कौन–कौन पक्षकार उपस्थिति थे यह स्पष्ट नहीं है। आराजी नंबर 992 व 1001 नेशनल हाईवे में चली गयी, जिसे भी वादी ने अपने खाते कराने की डिक्री प्राप्त कर ली है, जबकि इस बाबत किसी प्रकार के गवाह सबूत कोई में पेश नहीं किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्ण रूप से अवैध होकर नियम व कानून के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

7. उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट ने यह कहीं नहीं बताया है कि नारायणसिंह कब गोद गया, गोदनामे का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिस पर पुनः सुनवाई की जा सके। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

8. हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये अ... से मात्र यह अंकित किया है कि "प्रार्थीय... राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प खीमाखेड़ा ... पेश हुआ वादी का वाद इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वा... पैरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:41:04 IST
Reason: SelfAttested

पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

संख्या 1 में वर्णित आराजियात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के तीनों सह कृषक होकर सह खातेदार हैं तथा तीनों का 1/3, 1/3 भाग है तथा वाद पत्र की आराजी नंबर 992 एवं 1001 का वादी अकेले को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।''

अधीनस्थ न्यायालय ने किस आधार पर आराजी नंबर 992 व 1001 वादी अकेले का मानकर खातेदार घोषित किया, यह प्रकरण में कहीं भी स्पष्ट नहीं है, न ही आदेशिका से यह स्पष्ट है कि राजस्व कैम्प में कौन व्यक्ति उपस्थित थे। स्वयं वादी के कथनानुसार आराजी नंबर 992 व 1001 तीनों भाई रूपसिंह, उदयसिंह, तेजसिंह के नाम थी। रूपसिंह के लाऔलाद फोत होने पर सम्पत्ति का अन्तरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार होता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के मात्र वादी के कथनों के आधार पर आराजी नंबर 992 व 1001 का अकेले वादी को खातेदार घोषित कर दिया, जबकि गोद बाबत् कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

9. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25–05–2015 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–09–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 31–07–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

31.7.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:41:04 IST
Reason: SelfAttested

(19)

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत टोगी
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत टोगी

प्रकरण सं. – 87/2014 रेवा **निर्णय दिनांक – 25.05.2015**

अनवान

1. श्रीमति शान्तादेवी पत्नि माधुसिंह जाति रावत निवासी टोगी तहसील भीम
2. श्री राजेशसिंह पिता माधुसिंह जाति रावत निवासी टोगी तहसील भीम
3. श्री सोहनसिंह पिता माधुसिंह जाति रावत निवासी टोगी तहसील भीम
4. श्री छगनसिंह पिता माधुसिंह जाति रावत निवासी टोगी तहसील भीम

वादीगण

बनाम

1. श्रीमति कमला देवी पुत्री उदयसिंह जाति रावत निवासी मेरातों की बरजाल तहसील देवगढ
2. श्री नारायण सिंह मुतबन्ना रूपसिंह जाति रावत निवासी टोगी तहसील भीम
3. श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील भीम जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीए

राजस्व ग्राम टोगी तहसील भीम जिला राजसमन्द में निम्न लिखित आराजियात स्थित है –

(अ) आराजी नम्बर	रकबा
913	00.08.10
919	1.03.00
955	0.06.10
956	00.14.00
979	0.02.00
980	0.17.00
999	0.07.00
1000	0.11.00

कुल किता 8 कुल रकबा 04.09.00

(ब) आराजी नम्बर	रकबा
992	0.11.00
993	0.04.10
994	0.02.00
995	0.02.00
1001	15.08.00

कुल किता 5 कुल रकबा 16.07.10

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:41:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

वाद पत्र की पेरा संख्या 1 में वर्णित आराजियात स्व. श्री रूपसिंह जी, उदयसिंह, तेजसिंह जी पिता हिरासिंह जी रावत, निवासी टोगी के खातेदारी आधिपत्य उपयोग उपभोग की रही तेजसिंह जी की मृत्यु के पूर्व रूपसिंह जी का देहांत हुआ उससे पूर्व उदयसिंह जी का देहांत हुआ। यह भूमियां इन्होंने गिरवी रख रखी थी जिन्हें वादी ने रकम अदा कर रहन छुडवाया तथा कब्जा प्राप्त किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो कमशः स्व. श्री रूपसिंह जी के वारिसान है प्रतिवादी संख्या दो स्व. श्री रूपसिंह का गौद पुत्र है। वाद पत्र के पेरा संख्या एक में वर्णित आराजियात में वादी का 1/3 भाग प्रतिवादी संख्या एक का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या दो का 1/3 भाग होकर यह आराजियात तीनों के सह खातेदारी की होकर सभी सह कृषक है तथा वाद के पैरा संख्या एक में वर्णित आराजियात आपसी मौखिक पारिवारिक विभाजन अनुसार अलग अलग कब्जे कास्त है आराजी संख्या 992 कथलावाला बडलिया, तथा 1001 बीडा की भुमि वादी के हिस्से में होकर कब्जे कास्त है तथा प्रतिवादी संख्या एक के हिस्से खाखरा वालों बोलिया वालों तथा आराजी नम्बर कथला वाला हिस्से रहा जो स्व. उदयसिंह जी के आधिपत्य उपयोग उपभोग में रहा उनकी मृत्यु के उपरान्त वादी के ही कब्जे कास्त है। वाद पत्र के पेरा संख्या एक में वर्णित आराजियात में से आराजी संख्या 992 व 1001 नेशनल हाईवे नम्बर 8 के नजदीक स्थित है। राजस्व अभिलेखों में सहवन से इस आराजियात में रूपसिंह का नाम दर्ज होने से रह गया जबकि यह आराजी भी रूपसिंह जी की सह खातेदारी की आराजियात है तथा आपसी मौखिक पारिवारिक विभाजन से वादी के हिस्से में रखी गई इन आराजियात पर शुरू से यानि विगत 50 वर्षों से वादी काबिज काश्त करता आ रहा है तथा वादी के ही आधिपत्य उपयोग उपभोग में है परन्तु राजस्व अभिलेखों में वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक एवं उनके पूर्वाधिकारी के नाम सह खातेदारी में 1/2 भाग अंकन होने का नाजायज फायदा उठा प्रतिवादी संख्या एक उक्त आराजी की भुमि का भाग जो नेशनल हाईवे हेतु अवाप्त किया जा रहा है उसका मुआवजा बाला उठाने को आमादा हो रहे हैं जबकि इन कृषि भुमियों में प्रतिवादी संख्या एक का 1/2 भाग नही होकर 1/3 भाग है तथा 1/3 भाग स्व. रूपसिंह जी का होकर उनके वारिस प्रतिवादी संख्या दो का है। प्रतिवादी संख्या एक टोगी गांव में नही रहती है वह अपने ससुराल गांव बरजाल तहसील देवगढ रहती है जो करीब 50 किलोमीटर दूर है वाद के पैरा संख्या एक में वर्णित आराजियात के किसी भाग पर प्रतिवादी संख्या एक का आधिपत्य एवं उपयोग उपभोग नहीं है। राजस्व अभिलेखों में गलत अंकन का नाजायज लाभ उठाने की कोशिश में है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प खीमाखेडा** मे पेश हुआ वादी का वाद इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाद के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजियात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के तीनो सह कृषक होकर सह खातेदार है तथा तीनो का इसमे 1/3, 1/3 भाग है तथा वाद के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजि संख्या 992 एवं 1001 का वादी अकेले का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर निर्णय से कम हो।

निर्णय की पालना में तहसीलदार भीम को लिखा जाकर पालना से अवगत कराना सुनिश्चित करे।

( )
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, भीम

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:41:04 IST
Reason: SelfAttested